अध्याय : 9

अधिनियमों एवं राजकीय प्रयत्नों के प्रति चेतना

अधिनियमों एवं राजकीय प्रयत्नों के प्रति चेतना

बालक राष्ट्र के भावी नागरिक होते हैं। बालकों के उत्थान पर ही राष्ट्र या समाज की प्रगति आश्रित होती है। जिस देश में बालक उपेक्षित, अशिक्षित एवं अभावग्रस्त होते हैं, उसका भविष्य अंधकारमय होता है। इस महत्ता को समझते हुए विभिन्न अधिनियमों के तहत बाल श्रमिकों को उनकी उम्र, सेवाशर्तें एवं सुरक्षा प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत कारखाना अधिनियम 1881 के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एक ही दिन में दो कारखानों में काम करने की मनाही, काम के अधिकतम 9 घण्टे। इससे अधिक समय तक एक दिन में काम करने की मनाही। एक माह में कम से कम 4 अवकाश दिवस सम्बन्धी सेवाशर्तें एवं सुरक्षा प्रदान की गयी। यह अधिनियम 100 या उससे अधिक कामगार वाले कारखानों के लिए लागू किया गया है। कारखाना अधिनियम में 1891 में संशोधन किया गया एवं बाल श्रमिकों की उम्र 9 वर्ष निर्धारित की गयी एवं एक दिन में अधिकतम 7 घण्टे काम के लिए निर्धारित किये गये। रात में 8.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक बच्चों से काम लेने की मनाही की गयी। खान अधिनियम 1901 में बाल श्रमिक की उम्र 12 वर्ष

निर्धारित की गयी एवं 1911 में संशोधन कर बाल श्रमिकों की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गयी एवं रात के 7.00 बजे से सुबह साढ़े पाँच बजे तक बच्चों द्वारा काम करने की मनाही, कुछ खतरनाक प्रक्रियाओं में काम करने की मनाही एवं उम्र और सक्षमता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक किया गया। कारखाना (संशोधन) अनिनियम 1922 के तहत बाल श्रमिकों की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गयी एवं अवयस्कों के काम के अधिकतम घण्टे 6 (छः), बीच में आधे घण्टे के अवकश, यदि साढ़े पाँच घण्टे से अधिक समय के लिए काम लिया जाए। 20 या उससे अधिक कामगारों को रखने वाले, मशीन से चलने वाले कारखानों पर इसे लागू किया गया। कुछ प्रक्रियाओं में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं को नियोजन की मनाही की गयी एवं मेडिकल सर्टीफिकेट तथा उम्र प्रमाण–पत्र आवश्यक किया गया। भारतीय खान अधिनियम 1923 के तहत बाल श्रमिक की उम्र 13 वर्ष निर्धारित की गयी। माँ–बाप एवं अभिभावकों पर जुर्माना लगाया गया यदि वे अपने बच्चों को दो अलग–अलग कारखानों में एक ही दिन काम करने भेजते हैं। भारतीय बन्दरगाह (संशोधन) अधिनियम 1931 के तहत बाल श्रमिकों की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गयी। चाय जिला अप्रवासी अधिनियम 1932 में ऐसे बालक चाय के जिलों यथा असम आदि में नियोजन या प्रव्रजन नहीं कर सकते जब तक उनके साथ उनके माँ–बाप या

अन्य वयस्क न हों, जिन पर ये बच्चे निर्भर होते हैं। बाल (श्रमिक बन्धक) अधिनियम 1933 (चिल्ड्रेन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट) के अन्तर्गत बाल श्रमिक की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गयी। कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1934 में बाल श्रमिकों की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गयी। इसके अन्तर्गत 12 से 15 वर्ष के बच्चों का नियोजन सामान्यतः प्रतिबन्धित किया गया एवं 12 से 15 वर्ष के बच्चों के एक दिन में अधिकतम काम के 5 घण्टे निर्धारित किये गये। खान (संशोधन) अधिनियम 1935 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी। 15 वर्ष के अन्दर के बच्चों के खान में नियोजन की मनाही की गयी एवं 15–17 वर्ष के बच्चों को जमीन के अन्दर सक्षमचिकित्सा द्वारा दिए गए शारीरिक सक्षमता प्रमाण–पत्र के अधार पर ही कार्य करने की अनुमति दी गयी। जमीन के ऊपर के कार्यों में अधिकतम कार्य के घण्टे 10 एक दिन में और एक सप्ताह में 54 घण्टे निर्धारित किये गये। जमीन के अन्दर काम के अधिकतम घण्टे 9 एक दिन में निर्धारित किये गये। बाल नियोजन अधिनियम 1938 के अन्तर्गत बन्दरगाहों पर सामानों के हस्तान्तरण हेतु न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रेलवे में यात्रियों, सामान तथा डाक ढ़ोने की मनाही की गयी और इसके लिए उम्र प्रमाण–पत्र आवश्यक किया गया। बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986

द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं वयस्कों, किशोरों एवं बच्चों के लिए अलग–अलग मजदूरी तय करने की सरकार को शक्ति प्रदान की गयी। कारखाना अधिनियम 1948 में बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं 15 से 18 वर्ष के अवयस्कों को घातक मशीनों पर काम तिबना प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण के काम कराने की मनाही की गयी। सर्जन जाँच निर्धारित की गयी कि 15 से 18 वर्ष के किशोर को उसके स्वास्थ्य के लिए घातक काम में लगाया गया है या नहीं। एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य की गयी। 7 बजे से रात से सुबह छः बजे तक 17 वर्ष से कम उम्र वालों को काम करने की मनाही की गयी एवं जिस किशोर के पास सक्षमता प्रमाण–पत्र नहीं होगा, वह बाल श्रमिक माना जाएगा। बाल श्रमिकों को अधिकतम साढ़े चार घण्टे कार्य निर्धारित किया गया। बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम 1949 में बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी।

भारतीय संविधान (1950) में बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं मूलाधिकार के रूप में धारा 24 में निर्धारित किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खान या खतरनाक नियोजनों में काम न दिया जाये। धारा – 39 के अनुसार बच्चों की नाजुक उम्र के दुरुपयोग की मनाही तथा आर्थिक

तंगी के कारण बच्चों को ऐसे व्यवसाय अपनाने की बाधता न हो जो उनकी उम्र के अनुरूप न हों। बच्चों को स्वस्थ, मुक्त एवं गरिमा पूर्व ढंग से विकसित होने के लिए उचित अवसर एवं सुविधाएँ मिलें, जिससे उनके नैतिक एवं भौतिक शोषण को रोका जा सके। अध्याय चार नीति निर्देश सिद्धान्त की धारा 45 के अनुसार सरकार 10 वर्ष के बीच 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी।

बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम 1951 में बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं 15–17 वर्ष के बच्चों को रात में रेलवे एवं बन्दरगाह पर काम करने की मनाही की गयी। 17 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों के बारे में उनका पंजीकरण करना आवश्यक किया गया। बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी। सात बजे रात्रि से प्रातः छः बजे तक महिला एवं बाल श्रमिकों को काम की मनाही की गयी। सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं टोकेज आवश्यक किया गया। सप्ताह में अधिकतम काम के घण्टे 27 तथा एक दिन की छुट्टी निर्धारित की गयी। इसका उल्लंघन करने पर 3 माह की कैद या 500 रु. जुर्माना या दोनों विहित किया गया। खान अधिनियम 1952 में बाल श्रमिकों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी। खान में काम करने के लिए 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक किया गया किन्तु एप्रेन्टिस व

ट्रेनिंग के लिए 16 वर्ष होने की अनुमति दी गयी। इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना और दुबारा करने पर जुर्माना दुगुना किया गया। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गयी। धारा 13 के अनुसार 12 वर्ष के नीचे के बच्चों को दुकानों या प्रतिष्ठानों में काम करने पर रोक लगायी गयी तथा 12 से 18 वर्ष के बच्चों को रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने की मनाही की गयी। 14 वर्ष तक के बंच्चे से दिन में अधिकतम 5 घण्टे एवं सप्ताह में 30 घण्टे तक ही काम लिया जाना निर्धारित किया गया तथा एक दिन में दो प्रतिष्ठानों में काम करने पर रोक लगायी गयी। इसके अलावा 240 दिन से अधिक काम करने वाले बालक को अगले साल प्रत्येक 15 दिन पर एक दिन की दर से सालाना छुट्टी निर्धारित की गयी। कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1954 के अन्तर्गत 17 वर्ष तक के बच्चों को रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने की मनाही की गयी। व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निधारित की गयी। मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी। 14 से 18 वर्ष के अवयस्कों को सर्जन का सक्षमता प्रमाण पत्र आवश्यक किया गया। अधिकतम काम के घण्टे छः घण्टे जिसमें आधे घण्टे का विश्राम

शामिल किया गया। रात के 10 बजे से सुबह छः बजे तक काम करने की मनाही की गयी। इसका उल्लंघन होने पर 3 माह की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों विहित किया गया। एप्रेन्टिस अधिनियम 1961 के अधीन बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं अवयस्क के लिए उसके अभिभावक द्वारा नियोजक के साथ अनुबन्ध जरूरी किया गया। शारीरिक एवं शैक्षणिक सक्षमता प्रमाण–पत्र आवश्यक किया गया। रात में 10 बजे से प्रातः छः बजे काम करने की मनाही की गयी एवं इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना विहित किया गया। बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966 के तहत बाल श्रमिक की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी । 14–18 वर्ष के बच्चों को रात के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की मनाही। पानी, क्रेच, चिकित्सा, शौचालय, कैंटीन आदि की परिसर में सुविधाएँ आवश्यक की गयीं। किशोर श्रमिक के लिए प्रत्येक 15 दिन के लिए एक दिन का वार्षिक अवकाश मजदूरी सहित निर्धारित किया गया। सप्ताह में एक दिन की छुटी एवं उल्लंघन करने वाले पर 250 रुपये जुर्माना एवं दुर्बाल उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों विहित किया गया। बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम 1978 में बाल श्रमिक की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रलेवे परिसरों में कोयला

चुनने, राख का गड्ढा साफ करने, निर्माण कार्यों, खान–पान के प्रतिष्ठान तथा रेलवे लाइन के पास अथ्वा दो रेलवे लाइनों के बीच काम करने की मनाही की गयी। खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी। बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अधीन बाल श्रमिक की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी। सात व्यवसायों यथा रेलवे मेंदयात्री, माल व डाक ढ़ोने की मनाही, रेलवे परिसर में कोयला चुनने, राख का गड्ढा साफ करने, निर्माण कार्य, रेलवे परिसर में खान–पान प्रतिष्ठान में बाल श्रमिकों के नियोजन में मनाही, रेलवे स्टेशन के निर्माण अथवा दो लाइनों के बीच निर्माण कार्य आदि में मनाही तथा 18 प्रक्रियाओं यथा बीड़ी बनाना, कालीन बुनना, सीमेंट निर्माण कार्य, कपड़े की छपाई–रँगाई एवं बुनाई, माचिस, विस्फोटक पदार्थ यथा पटाखा का निर्माण कार्य, अभ्रक की कटाई और तोड़ाई, लाह निर्माण, साबुन निर्माण, चमड़े का कार्य एवं उनकी सफाई, भवन एवं निर्माण उद्योग आदि खतरनाक कार्यों में बालश्रमिकों को कार्य करने की मनाही। अधिकतम काम के घण्टे दिन में 6 घण्टे तथा बीच में आधे घण्टे का विश्राम, रात में सात बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की मनाही, लगातार 3 घण्टे से अधिक काम करने की मनाही एवं लगतार 3 घण्टे से अधिक काम करने की मनाही एवं प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का अवकाश

निर्धारित किया गया। बाल श्रमिकों के नियोजन के बारे में पंजी का विधिवत पंजीकरण और बाल श्रमिकों की उम्र के बारे में विवाद होने पर सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक किया गया। सक्षम सरकार (केन्द्र एवं राज्य) को कारखानों में सफाई, स्वास्थ्य, सावधानी एवं सुविधाओं के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कम से कम तीन माह और अधिक से अधिक एक वर्ष की कैद एवं कम से कम 10 हजार रुपए तथा अधिक से अधिक 20 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों। किन्तु दुबारा उल्लंघन करने पर कम से कम छः माह और अधिकतम दो वर्ष की कैद निर्धारित की गयी।

क्या आप समाचार–पत्र पढ़ते हैं?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आप समाचार–पत्र पढ़ते हैं? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.1

क्या आप समाचार–पत्र पढ़ते हैं

समाचार–पत्र पढ़ते है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	99	33.00
नहीं	201	67.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 33.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे समाचार–पत्र पढ़ते हैं तथा 67.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं कभी समाचार–पत्र नहीं पढ़ते हैं।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (67.00 प्रतिशत) उत्तरदाता समाचार–पत्र नहीं पढ़ते हैं।

क्या आप रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते हैं?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आप रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते हैं? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.2

क्या आप रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते हैं

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	147	49.00
नहीं	153	51.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 49.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते हैं तथा 51.00 प्रतिशत उत्तरदाता कभी रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते नहीं हैं।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (51.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे कभी भी रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते नहीं हैं।

क्या आपने कभी बाल श्रम के विषय में कोई सूचना सुनी व पढ़ी है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपने कभी बाल श्रम के विषय में कोई सूचना सुनी व पढ़ी है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.3

क्या आपने कभी बाल श्रम के विषय में कोई सूचना सुनी व पढ़ी है

सुनी या पढ़ी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	81	27.00
नहीं	219	73.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.3के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 27.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने बाल श्रम के विषय में सूचना सुनी व पढ़ी है तथा 73.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने बाल श्रम के विषय में कोई सूचना सुनी व पढ़ी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (73.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने कभी बाल श्रम के विषय में कोई सूचना सुनी व पढ़ी नहीं है।

क्या आपको मालूम है कि बाल मजदूरी अपराध है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको मालूम है कि बाल मजदूरी अपराध है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.4

क्या आपको मालूम है कि बाल मजदूरी अपराध है

अपराध है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	198	66.00
नहीं	102	34.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.4 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 66.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार बाल मजदूरी अपराध है तथा 34.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार बाल मजदूरी अपराध नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (66.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार मालूम है कि बाल मजदूरी अपराध है।

क्या आपको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित किया है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित किया है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.5

क्या आपको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित किया है

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	42	14.00
नहीं	258	86.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.5 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 14.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित किया है तथा 86.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित नहीं किया है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (86.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित नहीं किया है।

क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा कभी आपसे पूछताछ की गयी है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा कभी आपसे पूछताछ की गयी है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.6

क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा कभी आपसे पूछताछ की गयी है

पूछताछ की है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	102	34.00
नहीं	198	66.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.6 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 34.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा पूछताछ की गयी है तथा 66.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा कभी उनसे पूछताछ नहीं की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (66.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा कभी उनसे पूछताछ नहीं की गयी है।

क्या आप जानते हैं कि बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आप जानते हैं कि बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.7

क्या आप जानते हैं कि बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है

आपको जानकारी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	180	60.00
नहीं	120	40.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.7 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है इसकी जानकारी है तथा 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है, इसकी जानकारी है।

क्या आपको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको आपको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.8

क्या आपको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी है

जानकारी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	190	63.33
नहीं	110	36.67
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.8 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 63.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी है तथा 36.67 प्रतिशत

उत्तरदाताओं के अनुसार उनको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (63.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको आपको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी है।

क्या आपको मालूम है कि आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको मालूम है कि आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.9

क्या आपको मालूम है कि आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है

जानकारी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	67	22.33
नहीं	233	77.67
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.9 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 22.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको मालूम है कि स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है तथा 77.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है इसकी जानकारी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (77.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसकी जानकारी नहीं है।

क्या आप जानते हैं कि अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आप जानते हैं कि अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.10
क्या आप जानते हैं कि अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं

जानकारी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	60	20.00
नहीं	240	80.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.10 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं, इसकी जानकारी है तथा 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

क्या सरकार द्वारा मदद मिलने पर आप श्रम करना छोड़ देंगे?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या सरकार द्वारा मदद मिलने पर आप श्रम करना छोड़ देंगे? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 9.11

क्या सरकार द्वारा मदद मिलने पर आप श्रम करना छोड़ देंगे

श्रम छोड़ देंगे	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	261	87.00
नहीं	39	13.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 9.11 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 87.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा मदद मिलने पर वे श्रम करना छोड़ देंगे तथा 13.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा मदद मिलने पर वे श्रम करना नहीं छोड़ेंगे।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (87.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा मदद मिलने पर वे श्रम करना छोड़ देंगे।